सं0-33/2015/50/62-2-2015-2/4(30)/2010

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 18 फरवरी,2015

विषय- नवसृजित जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में लघु सिंचाई विभाग के प्रखण्डीय कार्यालय हेतु सृजित पदों की निरन्तरता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-72/स्था0-5(1)/2014-15, दिनांक 05-01-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- नवसृजित जनपद छत्रपति शाहूजी महाराजनगर वर्तमान में अमेठी में लघु सिंचाई विभाग के प्रखण्डीय कार्यालय की स्थापना तथा कार्यो के समुचित सम्पादन हेतु शासनादेश सं0-552/62-2-2014-2/4(30)/2010टीसी, दिनांक 03-3-2014 द्वारा निम्नलिखित अस्थाई राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों की निरन्तरता दिनांक 28-02-2015 तक प्रदान की गयी थी:-

क्र0सं0	पद का नाम	वेतनमान	सदृश्य ग्रे0पे0	पद की संख्या
1	2	3	4	5
1-	अधिशासी अभियंता	वेतन बैण्ड-3 (15600-39100)	6600	01
2-	सहायक अभियंता	वेतन बैण्ड-3 (15600-39100)	5400	02
3-	खण्डीय लेखाधिकारी	महालेखाकार के संवर्ग के अनुसार स्वीकृत वेतनमान	--	01
4-	अवर अभियंता	वेतन बैण्ड-2 (9300-34800)	4200	02
5-	ज्येष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड-1 (5200-20200)	2800	--
	लिपिक संवर्ग की सेवा नियमावली 22 सितम्बर,2014 के प्रख्यापनोपरांत नामित पद नाम प्रधान सहायक	नियमावली के प्रख्यापन उपरांत सादृश्य वेतन बैण्ड-2 (9300-34800)	4200	
6-	वरिष्ठ सहायक (जिला)	वेतन बैण्ड-1 (5200-20200)	2400	01
	लिपिक संवर्ग की सेवा नियमावली 22 सितम्बर,2014 के प्रख्यापनोपरांत नामित पद नाम प्रधान सहायक	नियमावली के प्रख्यापन उपरांत सादृश्य वेतन बैण्ड-1 (5200-20200)	2800	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7-	सहायक लेखाकार	वेतन बैण्ड-1 (5200-20200)	2800	01
8-	आशुलिपिक	वेतन बैण्ड-1 (5200-20200)	2400	01
	आशुलिपिक सवंर्ग की सेवा नियमावली 06 जून,2014 के प्रख्यापनोपरान्त नामित पद नाम आशुलिपिक	नियमावली के प्रख्यापन उपरांत सादृश्य वेतन बैण्ड-1 (5200-20200)	2800	--
9-	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड-1 (5200-20200)	2000	02
	योग-			12

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उपरोक्त पदों को पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 29-02-2016 तक चलते रहने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03-लघु सिंचाई योजना"** के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
ह0/
(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

सं0-33/2015/50(1)/62-2-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त।
3- संबंधित जिलाधिकारी।
4- संबंधित कोषाधिकारी।
5- संबंधित अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई प्रखण्ड।
6- संबंधित सहायक अभियंता, लधु सिंचाई।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
8- वित्त वेतन आयोग-1/2
9- राजस्व अनुभाग-5
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in